①

पत्र सं० 5424/3 सी०-पी०ए०
- 5 DEC 2018

कार्यालय
प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा

दूरभाष : 05962.230065, फैक्स: 05962.232182 ई–मेल almoraforestdivision@rediffmail.com

पत्रांक 2880 /12-1(2) अल्मोड़ा दिनांक 19-11-2018

सेवा में,

अधिशासी अभियन्ता,
निर्माण खण्ड,लो0नि0वि0, अल्मोड़ा।

विषय – चितई पंत तिराहे से पेटशाल तक वैकल्पिक मोटर मार्ग किमी0 6 में निर्माण के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ– जिलाधिकारी अल्मोड़ा की पत्र सं0 22 / छब्बीस–02 / 2016–17 / दि0 12.11.2018 ।

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्र जो इस कार्यालय को सम्बोधित आपको पृष्ठांकित है,का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त मोटर मार्ग के सापेक्ष क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित सिविल भूमि "कालनू" में ग्राम वासियों के द्वारा कड़ी आपत्ति की जा रही है, तथा उक्त भूमि वृक्षादित भी है। इस सम्बन्ध में इस कार्यालय के पत्रांक 2591 / 12–1(2) / दिनांक 30.10.2018 से भी आपको पूर्व में सूचित किया जा चुका है। उक्त भूमि पी0एम0जी0एस0वाई0 द्वाराहाट के कई मार्गों के सापेक्ष भी पूर्व में चयनित की गई थी। उक्त परिस्थिति के कारण उनके द्वारा पिथौरागढ़ जिले के धारचुला में सिविल भूमि ले ली गई है। इसलिये उचित होगा कि उक्त भूमि के सापेक्ष क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु अन्य भूमि तलाशी जाय।

भवदीय,

प्रभागीय वनाधिकारी
अल्मोड़ा ~~वन~~ प्रभाग अल्मोड़ा

पत्राक / दिनांकित

प्रतिलिपि– जिलाधिकारी अल्मोड़ा को उनकी पत्र सं0 22 / छब्बीस–02 / 2016–17 दिनांक 12.11.2018 एवं इस कार्यालय की पत्र सं0 2591 / 12–1(2) / दिनांक 30.10.2018 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि– वन क्षेत्राधिकारी रानीखेत को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रभागीय वनाधिकारी
अल्मोड़ा वन प्रभाग अल्मोड़ा
16-11-18

R.N. 5424/3सी०ए०पी०ए०
5/12/18

AE I / अमीन

06/12

EE 05/12/18

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा

E-mail-eecdalmorapwd@rediffmail.com ***Ph. No.- 05962-230091***

पत्रांक 876 /3सी0 (व.भू.) दिनांक 25.4.18

सेवा में,

जिलाधिकारी,
अल्मोड़ा।

विषयः— जनपद अल्मोड़ा में ओखल—कोटली—बजेल मोटर मार्ग में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु 2.0226 है0 सिविल भूमि उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक क्रम में अनुरोध करना है कि उक्त मोटर मार्ग में पूर्व में ग्राम बिल्लेख की 2.0226 है0 सिविल भूमि चयनित की गयी थी। जो आपके कार्यालय आदेश सं0—3971/ग्यारह—23/2015 दि0 03.03.2015 द्वारा वनविभाग के पक्ष में अमल—दरामद की जा चुकी थी। उक्त मोटर मार्ग के वनभूमि प्रस्ताव में नोडल अधिकारी, देहरादून द्वारा नये दरों पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण योजना एवं मैप में आपत्ति लगायी गयी थी। जो तैयार कर वनक्षेत्राधिकारी, रानीखेत को हस्ताक्षर कराने हेतु प्रेषित किये गये। उनके द्वारा अवगत कराया गया कि ग्राम बिल्लेख की 2.0226 है सिविल भूमि जो 60 से 70 डिग्री की ढाल में स्थित है जो तीव्र प्रपाती भूमि है, जो कि वृक्षारोपण के लिए उपयुक्त नहीं है। इस कारण उनके द्वारा उक्त प्रपत्रों में हस्ताक्षर नहीं किये गये हैं।

अतः उक्त मोटर मार्ग हेतु 2.0226 है0 सिविल भूमि अन्यत्र स्थान पर उपलब्ध कराने की कृपा करें। उक्त प्रकरण समाधान के अन्तर्गत भी है।

संलग्न—वनक्षेत्राधिकारी का पत्र।

भवदीय

25/4

अधिशासी अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लो0नि0विभाग, अल्मोड़ा

पत्रांक 876 /3सी.(व.भू.) दिनांकित।
प्रतिलिपि— प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा को सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि— सहायक अभियन्ता, नि0 खण्ड, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा को सूचनार्थ प्रेषितं।

25/4

अधिशासी अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लो0नि0विभाग, अल्मोड़ा

कार्यालय जिला अधिकारी,अल्मोड़ा

संख्या 22 / छब्बीस–02 /2016–17, दिनांक 12 नवम्बर,2018

प्रभागीय वनाधिकारी,
अल्मोड़ा वन प्रभाग,
अल्मोड़ा।

विषय चितई पन्त तिराहें से पेटशाल तक वैकल्पिक मोटर मार्ग किमी0 6 में निर्माण के संबंध में।

कृपया उपरोक्त विषयक अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा के पत्र संख्या–2459/3सी (व0भू0) दिनांक 23.10.2018 जो इस कार्यालय को संबोधित तथा आपको भी पृष्ठांकित है, का अवलोकन करें, जिसके अन्तर्गत अवगत कराया गया है कि चितई पन्त तिराहें से पेटशाल तक वैकल्पिक मोटर मार्ग किमी0 6 में निर्माण के संबंध में प्रस्ताव ऑनलाईन किया गया है, जिसमें क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु कालनू की सिविल भूमि चयनित की गयी थी, किन्तु वर्तमान में भारत सरकार द्वारा डिजिटल मैप नये प्रारुप में तैयार कर प्रभागीय वनाधिकारी के हस्ताक्षर करवाकर उपलब्ध कराये जाने की आपत्ति लगाई गयी है। यह भी अवगत कराया गया है कि उनके द्वारा डिजिटल मैप तैयार कर हस्ताक्षर किये जाने हेतु वन क्षेत्राधिकारी,रानीखेत को दिनांक 04.07.2018 से प्रेषित किये गये हैं, किन्तु वन क्षेत्राधिकारी, रानीखेत द्वारा डिजिटल मैप में हस्ताक्षर नही किये जा रहें हैं। प्रकरण पर यह भी अवगत कराया गया है कि ग्राम कालनू की सिविल भूमि क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु दिये जाने के संबंध में ग्रामवासियों द्वारा आपत्ति की जा रही है।

प्रकरण पर यह भी स्पष्ट है कि पूर्व में क्षतिपूरक वृक्षारोपण के लिए चयनित भूमि का प्रस्ताव आपके स्तर से प्रतिहस्ताक्षरित कर भारत सरकार को प्रेषित किया गया है, किन्तु भारत सरकार की आपत्ति के कम में दिनांक 04.07.2018 से प्रस्ताव में लगाई गयी आपत्ति का निराकरण किये जाने के संबंध में कोई भी कार्यवाही आपके स्तर से आतिथि तक नही की गयी है।

अतः अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0,अल्मोड़ा के उक्त सन्दर्भित पत्र की प्रति इस आशय के साथ संलग्न कर प्रेषित की जा रही है कि ग्राम कालनू की सिविल भूमि को क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु दिये जाने के संबंध में ग्रामवासियों की आपत्ति को दृष्टिगत रखते हुए प्रस्तावों में भारत सरकार द्वारा लगायी गयी आपत्ति का निराकरण किये जाने के संबंध में अग्रिम कार्यवाही नियमानुसार यथाशीघ्र करवाते हुए कृत कार्यवाही से इस कार्यालय को भी अवगत कराना सुनिश्चित करें।

(नितिन सिंह भदौरिया)
जिला अधिकारी,अल्मोड़ा

प्रतिलिपि अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा को उनके पत्र संख्या–2459/3सी (व0भू0) दिनांक 23.10.2018 के कम में सूचनार्थ प्रेषित।

(नितिन सिंह भदौरिया)
जिला अधिकारी,अल्मोड़ा

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लो0 नि0 वि0, अल्मोड़ा
पत्र सं0......
5128/3सी
12 NOV 2018